धारा – 4(1) ब

3

निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और पर्यवेक्षण तथा जबावदेही का माध्यम

राज्यस्तरीय संस्थागत संरचना

2.1 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत होने वाले कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्य क्षमता बढ़ाने के उपाय कार्यक्रम के साथ सुझाये गये हैं। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत होने वाले कायों के योजनाबद्ध और सक्षम क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्य क्षमता बढ़ाने के उपाय कार्यक्रम के साथ सुझाए गये है। ये सभी प्रभावकारी प्रबंधन के लिये अत्यन्त आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य तो ग्रामों को सम्पर्क उपलब्ध कराना है ही, इसके लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गो का विकास एवं सुदृणीकरण एवं सम्पूर्ण नेटवर्क के चरणबद्ध आयोजना और प्रबंधन तथा संथागत सुदृढीकरण एवं क्षमता विकास के अवयबों के साथ किये जाने का भी उद्देश्य निहित है। ये सभी प्रभावकारी प्रबंधक के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

2.2 राज्य स्तरीय संस्थाऐं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के लिये एक जिम्मेदार राज्य स्तरीय संस्था की स्थापना एवं संचालन करना तथा संस्थागत विकास को ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क के हित में सामान्य रूप से एक महत्वपूर्ण घटक बनाना इसका उद्देश्य है।

2.2.1 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दिशा निदेंशों के पैरा सात के अनुसार हर एक राज्य सरकार को एक ऐसी उपयुक्त संस्था (बड़े राज्यों की स्थिति में दो संस्थाऐं) का चयन करना होगा जिसका कि प्रतिनिधित्व राज्य के हर जिले में हो तथा उसकी समयवद्ध सड़क निर्माण के क्षेत्र में स्थापित सक्षमता हो। यह एजेंसियां कार्य संपादन ऐजेंसियां कहलायेंगी। यह संस्थाऐं लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवायें, ग्रामीण अभियांत्रिकी संस्थान, ग्रामीण निर्माण विभाग, जिला परिषद, पंचायती राज्य संस्थाऐं, जो कि कुछ समय से कार्यक्षेत्र में सक्रिय हो एवं जरुरी अनुभव, निपुणता तथा जन–शक्ति से युक्त हो सकती है। जिन राज्यों एक से अधिक ऐजेंसियों का चयन किया गया हो, वहां राज्य सरकार द्वारा कार्य का बंटवारा जिले को एक यूनिट मानकर किया जायेगा ।

2.2.2 हर राज्य सरकार किसी एक विभाग को नोडल विभाग के रुप में नामांकित करेगी। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों का क्रियान्वयन इस नोडल विभाग की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी । ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकार के बीच होने वाला सभी पत्र व्यवहार नोडल विभाग/राज्य स्तरीय ऐजेंसी के माध्यम से ही होगा । सामान्यतः राज्य सरकार का विभाग जो कि ग्रामीण सड़क के लिए जिम्मेदार हो, वही नोडल विभाग होगा ।

2.2.3 नोडल विभाग एक राज्य स्तरीय स्वतंत्र संस्था की स्थापना करेगा जो कि राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी कहा जायेगा । इस एजेंसी की विशिष्ट विधिवत हैसियत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत होगी इस ऐजेंसी की राज्य के अंदर ग्रामीण सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक नोडल ऐजेंसी या समन्वयक की भूमिका होगी। यह संस्था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधि प्राप्त करेगी । जहां पर ऐसी संस्था पहले से

ही है जैसे कि हरियाणा व पंजाब में विपणन बोर्ड है वहां राज्य यह कार्य उनको सौंप सकते है, बशतें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए जरुरी प्रावधान उसमें समाहित कर लिये जाएं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को प्रस्ताव भेजे जाने के पहले ऐजेन्सी सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन कर उन्हें राज्य स्तरीय स्टेंडिग कमेटी के समक्ष रखेगी ।

संस्था की सामान्य सभा में सड़क निर्माण से लंबे समय से जुड़े अनुभवी तथा व्यवसायिक व्यक्तियों एवं वरिष्ठ सेवानिवृत अधिकारियों/शिक्षाविदों को रखा जा सकता है । जिससे उनके अनुभवों का संकलन एवं विकास की समग्र रूपरेखा बन सके।

2.2.4 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के परिपेक्ष में ऐजेन्सी के निम्न कार्य होंगे –

- ग्रामीण सड़क योजना तथा खण्डीय समन्वय ।
- निधियो का प्रबंधन ।
- वार्षिक प्रस्तावों को बनाकर जमा करना ।
- निर्माण प्रबंधन ।
- संविदा प्रबंधन ।
- वित्तीय प्रबंधन ।
- गुणवत्ता प्रबंधन ।
- रखरखाव प्रबंधन ।

यह अपेक्षा की जाती है कि ऐजेन्सी इन सभी गतिविधियों के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बल्कि संपूर्ण ग्रामीण सड़क क्षेत्र के लिए भी जिम्मेदार होगी ।

ऐजेन्सी का प्रस्तावित ढांचा निम्नानुसार होगा

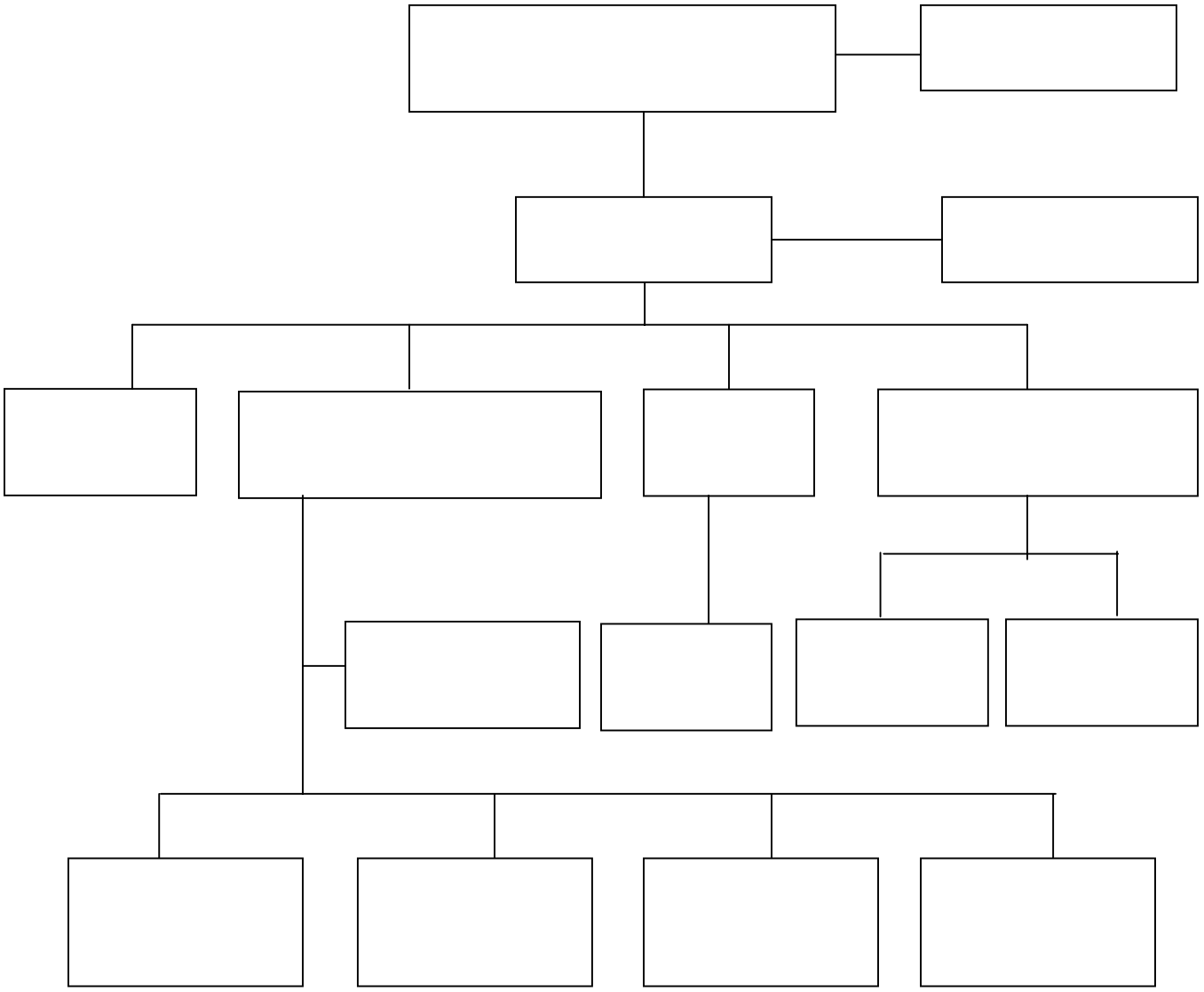

2.2.5 संस्था का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल / कार्यपालन विभाग का एक उच्चाधिकारी होना चाहिए जिसकी उपस्थिति राज्य के सचिवालय में भी हो ।

2.2.6 संस्था एक वित्त नियंत्रक की नियुक्ति करेगी जो कि ग्रामीण सड़क निर्माण के लेखे के संचालन की व्यवस्था का निरीक्षण करेगा । संस्था को केन्द्रीयकृत खाते होंगे जो परियोजना क्रियान्वयन इकाई की पहुंच में होंगे और वित्त नियंत्रक की मुख्य जिम्मेदारी लेखे के मानदंड का पालन कराना व ऑडिट की व्यवस्था कराना होगा । वित्त नियंत्रक एक व्यवसायिक व्यक्ति होना चाहिए जिसको कि निर्माण लेखाकरण में पर्याप्त अनुभव व जानकारी हो ।

2.2.7 संस्था एक प्राधिकृत अधिकारी की भी नियुक्ति करेगी (यह वित्त नियंत्रक से पृथक होगा) । यह एक उच्चाधिकारी होना चाहिए (मुख्य अभियंता के समकक्ष) जो कि योजना के आवंटित निधयों के सुचारू रुप से प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा, यह अधिकारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रोजेक्ट के प्रबंधन का जानकार होना चाहिए । सभी क्रियान्वयन ईकाईयां राज्य स्तरीय एजेंसी के खातों का एक साथ संचालन करेंगी, इसलिए प्राधिकृत अधिकारी के वित्त व्यवस्था के प्रबंधन के लिये आवश्यक योग्यताएं होना चाहिये।

2.2.8 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क येाजना द्वारा प्रस्तावित लेखा प्रबंधन प्रणाली जो कि निर्माण विभाग की एक सुस्थापित लेखा प्रबंधन प्रणाली है, इस कार्य के लिए उपयोग की जावेगी। ओ एम एम एस (OMMS) सॉफ्टवेयर लेखा प्रणाली को भी सपोर्ट करता है और इस प्रकार कार्य करेगा जिससे कि PIU , SRRDA तथा सभी संबंधित बैंक की शाखा अपने डाटा की प्रविष्टि का कार्य ऑन – लाईन कर सकेगें । प्रभारी अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक इस ऑन–लाईन सिस्टम की सभी खूबियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होना चाहिये । अधिक जानकारी के लिए अध्ययाय को देखें ।

2.2.9 संस्था एक राज्य आई टी नोडल अधिकारी की पहचान करेगी जो कि परियोजना क्रियान्वयन इाकइ द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा की निरन्तरता एवं शुद्धता की देखरेख करेगा और हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा वह PMGSY के कर्मचारियों की आई टी से संबधित प्रशिक्षण की जरुरतों का भी ख्याल रखेगा । आई टी नोडल अधिकारी की पृष्ठभूमि सांख्यिकी के क्षेत्र में डाटा गणना में विशेष कर कम्प्यूटर आधारित प्रणाली में हो। आई टी के क्षेत्र में योग्यता एक अतिरिक्त लाभ होगा ।

2.2.10 संस्था एक वरिष्ठ अभियंता की नियुक्ति करेगी (जो कि अधीक्षण यंत्री से कम स्तर का नही हो) जो कि राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समन्वयक (SQC) के रुप में काम करेगा । उसका कार्य राज्य के अंदर सभी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कायों के सुचारु रुप से संचालित कराने का होगा । इस कार्य में एन क्यू एम रिपोर्ट पर होनी वाली अनुवर्ती कार्यवाही की देखरेख भी शामिल होगी । SQCs के क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी गुणवत्ता प्रबंधन के अध्याय में दी गई है ।